

# FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज अदालत सभागीय आयुक्त मुकाम अजमेर

चैनसिंह बनाम मैरु जरिये वारिसान भंवरी व अन्य

किस्म मुकदमा/प्रार्थना पत्र/बाजदायरी/नं०/2025/292 जिला अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.2025	<p>अपील अर्पित : - श्री दिनेश कुमार रेस्पो : श्री बसंत कुमार विजयवर्गीय</p> <p>पत्रावली पेश हुई। यह बाजदायरी प्रार्थना-पत्र मूल अपील संख्या 2024/676 बउनवान चैनसिंह बनाम मैरु (मृतक) भंवरी व अन्य में निर्णय दिनांक 09.09.2025 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश के विरुद्ध अपीलान्ट की ओर बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट श्री दिनेश कुमार व रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक श्री बसंत कुमार विजयवर्गीय को सुना गया। बाजदायरी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट अभिभाषक की प्रार्थना पत्र पर हुई बहस पर मनन किया तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया गया। अतः अपीलान्ट अभिभाषक का बाजदायरी प्रार्थन पत्र एक हजार रुपये की कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 09.09.2025 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में निस्तारित बाजदायरी प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश इस निर्देश के साथ दिये गये कि हर्जाना राशि प्रार्थी द्वारा राजस्थान राजस्व अभिभाषक संघ, राजस्व मण्डल अजमेर में जमा करवा कर रसीद प्रस्तुत करने पर ही अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है, रसीद पेश होने पर शामिल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूल पत्रावली के साथ संलग्न हो।</p>	<p>रसीद संलग्न 4/31 (लिखित) 15-10-25 संलग्न की</p> <p>संभागीय आयुक्त अजमेर</p>